



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000, एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पत्रांक - 31 / प्रवर्तन जोन-4 / 2018

दिनांक - 13-07-18

सेवा में,

मै0 सैब फैंब डवलपर्स प्रा0लि0

द्वारा डायरेक्टर श्री धनेश कुमार गोयल

सी-88, लोहिया नगर, गाजियाबाद।

विषय:- मै0 सैब फैंब डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा खसरा संख्या-924, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938 एवं 959 एन0एच0-24, ग्राम महरौली गाजियाबाद की भूमि पर निर्माणाधीन ग्रुप हाउसिंग के हैजल-1, टावर-ए हेतु आंशिक सम्पूति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मै0 सैब फैंब डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा खसरा संख्या-924, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938 एवं 959 एन0एच0-24, ग्राम महरौली गाजियाबाद की भूमि पर निर्माणाधीन ग्रुप हाउसिंग के हैजल-1, टावर-ए हेतु आंशिक सम्पूति प्रमाण-पत्र जारी करने की उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 06.07.18 को प्रदान की गयी स्वीकृति के अनुक्रम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन आंशिक सम्पूति प्रदान की जाती है:-

1. पूर्व स्वीकृत मानचित्र व संशोधित स्वीकृत मानचित्र की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
2. अग्निशमन उपकरणों को सदैव क्रियाशील रखना होगा एवं अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित शर्तों का पालन करना होगा तथा प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण कराना होगा एवं नवीनीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. संरचना सुरक्षा एवं अन्य सम्बन्धित उपकरणों की सुरक्षा का दायित्व स्वयं निर्माणकर्ता का होगा।
4. किसी भी विपरीत परिस्थिति में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता का होगा।
5. आवेदक/निर्माणकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत सभी शपथ पत्रों एवं वचनबद्धताओं का अनुपालन करना होगा किसी भी शपथ पत्र/वचनबद्धता की किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में निर्गत आंशिक सम्पूति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट-2010 के प्राविधानों के अनुपालन में प्रस्तुत Declaration का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
7. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बड़े हुए विकास व्यय या अन्य कोई शुल्क की मांग की जाती है तो वह शुल्क निर्माणकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
8. वाह्य विकास कार्य पूर्ण होने पर सीवर कनेक्शन व वाटर कनेक्शन की अनुमति गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने का दायित्व निर्माणकर्ता एजेन्सी का होगा व उक्त कनेक्शन कराये जाने का उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता/विकासकर्ता का होगा।
9. सम्पूर्ण प्रोजेक्ट का सम्पूति प्रमाण पत्र लेने से पूर्व बोरवेल हेतु नेशनल ग्राउण्ड वाटर आर्थोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

10. लिफ्ट की सुरक्षा का नियमानुसार निर्धारित समयवधि पर परीक्षण कराना होगा एवं प्रत्येक परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराना होगा ।
11. नियमानुसार आर0डब्ल्यू0ए0 के गठन एवं आर0डब्ल्यू0ए0 को सभी सुविधाओं सहित हस्तान्तरण तक समस्त सुविधाओं आदि का अनुरक्षण डेवलपर द्वारा ही कराया जायेगा ।
12. कूड़ा निस्तारण हेतु बायोवेस्ट यंत्र की स्थापना कर 1½ माह में स्थल पर स्थापना की फोटो कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
13. सम्पूर्ण परिसर का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के समय वर्तमान में जारी आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र वाले भाग का पुनः तकनीकी/स्थलीय परीक्षण करने का अधिकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का होगा ।
14. माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल व अन्य मा0 न्यायालयों द्वारा डस्ट/प्रदूषण रोकने सम्बन्धी पारित आदेशों अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।

NSL

प्रभारी, प्रवर्तन जोन-4



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000, एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पत्रांक - 31 / प्रवर्तन जोन-4 / 2018

दिनांक - 13-07-18

सेवा में,

मै0 सैब फैंब डवलपर्स प्रा0लि0

द्वारा डायरेक्टर श्री धनेश कुमार गोयल

सी-88, लोहिया नगर, गाजियाबाद।

विषय:- मै0 सैब फैंब डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा खसरा संख्या-924, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938 एवं 959 एन0एच0-24, ग्राम महरौली गाजियाबाद की भूमि पर निर्माणाधीन ग्रुप हाउसिंग के हैजल-1, टावर-ए हेतु आंशिक सम्पूति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मै0 सैब फैंब डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा खसरा संख्या-924, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938 एवं 959 एन0एच0-24, ग्राम महरौली गाजियाबाद की भूमि पर निर्माणाधीन ग्रुप हाउसिंग के हैजल-1, टावर-ए हेतु आंशिक सम्पूति प्रमाण-पत्र जारी करने की उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 06.07.18 को प्रदान की गयी स्वीकृति के अनुक्रम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन आंशिक सम्पूति प्रदान की जाती है:-

1. पूर्व स्वीकृत मानचित्र व संशोधित स्वीकृत मानचित्र की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
2. अग्निशमन उपकरणों को सदैव क्रियाशील रखना होगा एवं अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित शर्तों का पालन करना होगा तथा प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण कराना होगा एवं नवीनीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. संरचना सुरक्षा एवं अन्य सम्बन्धित उपकरणों की सुरक्षा का दायित्व स्वयं निर्माणकर्ता का होगा।
4. किसी भी विपरीत परिस्थिति में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता का होगा।
5. आवेदक/निर्माणकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत सभी शपथ पत्रों एवं वचनबद्धताओं का अनुपालन करना होगा किसी भी शपथ पत्र/वचनबद्धता की किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में निर्गत आंशिक सम्पूति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट-2010 के प्राविधानों के अनुपालन में प्रस्तुत Declaration का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
7. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बड़े हुए विकास व्यय या अन्य कोई शुल्क की मांग की जाती है तो वह शुल्क निर्माणकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
8. वाह्य विकास कार्य पूर्ण होने पर सीवर कनेक्शन व वाटर कनेक्शन की अनुमति गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने का दायित्व निर्माणकर्ता एजेन्सी का होगा व उक्त कनेक्शन कराये जाने का उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता/विकासकर्ता का होगा।
9. सम्पूर्ण प्रोजेक्ट का सम्पूति प्रमाण पत्र लेने से पूर्व बोरवेल हेतु नेशनल ग्राउण्ड वाटर आर्थोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

10. लिफ्ट की सुरक्षा का नियमानुसार निर्धारित समयवधि पर परीक्षण कराना होगा एवं प्रत्येक परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराना होगा ।
11. नियमानुसार आर0डब्ल्यू0ए0 के गठन एवं आर0डब्ल्यू0ए0 को सभी सुविधाओं सहित हस्तान्तरण तक समस्त सुविधाओं आदि का अनुरक्षण डेवलपर द्वारा ही कराया जायेगा ।
12. कूड़ा निस्तारण हेतु बायोवेस्ट यंत्र की स्थापना कर 1½ माह में स्थल पर स्थापना की फोटो कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
13. सम्पूर्ण परिसर का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के समय वर्तमान में जारी आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र वाले भाग का पुनः तकनीकी/स्थलीय परीक्षण करने का अधिकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का होगा ।
14. माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल व अन्य मा0 न्यायालयों द्वारा डस्ट/प्रदूषण रोकने सम्बन्धी पारित आदेशों अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।

NSL

प्रभारी, प्रवर्तन जोन-4